इकाई ६ पाकिस्तान की राजनीति की संरचनाएँ एवं प्रक्रियाएँ

इकाई की रूपरेखा

६.० उद्देश्य

६.१ प्रस्तावना

६.२ स्थापना के समय पाकिस्तान

६.३ राजनीतिक विकास एवं प्रक्रियाएँ

- ६.३.१ संविधान सभा
- ६.३.२ जिन्ना-लियाक़त काल
- ६.३.३ नौकरशाही और सेना का गठबंधन
- ६.३.४ प्रथम सैनिक शासन: अयूब-याहया काल
- ६.३.५ जुल्फीकार अली भुट्टो के नेतृत्व में पी. पी. पी.: ज़िया-उल-हक़ काल
- ६.३.६ सैनिक शासन की दूसरी पारी: - जनरल ज़िया-उल-हक़ काल
- ६.३.७ लोकतंत्रा की पुनर्स्थापना: गुलाम इशाक़ खान काल
- ६.३.८ राजनीति में मध्यस्थ के रूप में सेना:१९९३ का राजनीतिक संकट
- ६.३.९ जनरल मुशर्रफ़ का सैनिक शासन

६.४ नौकरशाही

६.५ सेना

६.६ चुनाव एवं राजनीतिक दल

६.७ सारांश

६.८ कुछ उपयोगी पुस्तकें

६.९ बोध प्रश्नों के उत्तर

६.० उद्देश्य

इस अध्याय में पाकिस्तान की संरचना तथा राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया गया है। इसे पढ़ने के बाद आप:

- पाकिस्तान के राजनीतिक विकास की प्रमुख अवस्थाओं की पहचान कर पाएंगे;
- देश का राजनीतिक इतिहास जान पाएंगे;
- पाकिस्तान की राजनीतिक प्रणाली में सेना तथा नौकरशाही की भूमिका का पता लगा पाएंगे; तथा
- राज्य में क्षेत्रीय असमानताओं की पहचान कर पाएंगे।

६.१ प्रस्तावना

पाकिस्तान का जन्म ब्रिटिश भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रान्तों में मुस्लिम अलगाववादी आंदोलन के परिणामस्वरूप १४ अगस्त, १९४७ को हुआ। मुस्लिम अलगाववादी आंदोलन ब्रिटिश शासकों

के सहयोग तथा १९वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में मुस्लिम मध्य वर्ग के उदय से चला। २३ मार्च, १९४० के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव में अलग स्वदेश की मांग की गई जिसमें भारतीय उप-महाद्वीप का सारा उत्तर-पश्चिमी तथा उत्तर पूर्वी भाग शामिल था, किन्तु माउंटबेटन योजना के अनुसार पंजाब और बंगाल का भी विभाजन किया गया। अन्त में जो पाकिस्तान राज्य उभर कर आया, वह अपने आप में विलक्षण था, इसके दो प्रमुख हिस्सों के बीच में १००० कि मी का भारतीय क्षेत्रा था। चूंकि इन दोनों के बीच धर्म के अतिरिक्त कुछ भी सामान्य नहीं था, अत: शीघ्र ही पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्रा राष्ट्र के रूप में उभरा। आजकल पाकिस्तान में पंजाब (पहले पूर्वी पंजाब), सिंध, उत्तर-पश्चिमी सीमान्त प्रान्त (NWFP), बलूचिस्तान, संघ प्रशासित जनजातीय क्षेत्रा (FATA) तथा इस्लामाबाद का संघ प्रशासित राजधानी क्षेत्रा शामिल है। देश की जनसंख्या १५ करोड़ है। निर्धनता, उच्च जन्म दर, निरक्षरता, बेरोज़गारी इत्यादि आज भी देश की प्रमुख समस्याएँ हैं। २४ वर्षों से अधिक समय तक चलने वाले सैनिक शासन की तीन पारियों के बाद इस देश में एक बार फिर से तीन वर्ष पूर्व जनरल मुशर्रफ़ का सैनिक शासन लगा।

६.२ स्थापना के समय पाकिस्तान

पाकिस्तान के दो प्रमुख भागों - पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान-में धर्म के अतिरिक्त कोई और समानता नहीं थी। नए राष्ट्र के पास राज्य का आधारभूत ढांचा नहीं था यहां तक कि सेना भी ब्रिटिश सेना का ही हिस्सा थी। पाकिस्तान के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्रा आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा था। इसके प्रान्त प्रमुखत: कृषि पर निर्भर थे जिन पर सामन्ती जमींदारों तथा जनजातीय सरदारों का वर्चस्व था। क्षेत्रा में जो भी उद्योग और व्यापार था, उस पर हिन्दू तथा सिक्खों का नियंत्राण था जो विभाजन के दिनों में साम्प्रदायिक दंगों के कारण भारत चले गए। कुछेक वित्तीय संस्थाएँ पश्चिमी भाग के लाहौर, कराची तथा पेशावर तथा पूर्वी भाग के ढाका जैसे शहरी केन्द्रों में कार्यशील थीं। यातायात तथा संचार प्रणाली भी अल्पविकसित थी। पूर्वी भाग पटसन का प्रमुख निर्यातक क्षेत्रा था जो कि पाकिस्तान की निर्यात की जाने वाले प्रमुख जिन्स थी, परन्तु व्यापार कार्य चलाने के लिए विकसित बंदरगाहें नहीं थीं। इन परिस्थितियों में प्रशासन का मुख्य कार्य भारत से आए हजारों शरणार्थियों को स्थापित तथा पुनर्वासित करना था।

औपनिवेशिक राज्य होने के कारण नए देश में ब्रिटिश परम्पराओं में प्रशिक्षित, संगठित नौकरशाही तथा सेना मौजूद थी। ब्रिटिश भारतीय सेना में विभाजन कर मुस्लिम अधिकारियों को पाकिस्तानी अथवा भारतीय सेना में शामिल होने का विकल्प दिया गया। यह उल्लेखनीय है कि स्वतंत्राता प्राप्ति के कुछ समय बाद तक कई ब्रिटिश अधिकारी पाकिस्तानी सेना में रहे।

बोध प्रश्न १

नोट : अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए खाली स्थान को उपयोग में लाए ।

अपने उत्तर की जांच अध्याय के अंत में दिए गए उत्तर से करें ।

१) पाकिस्तान की स्थापना के समय कुल मिलाकर इसकी स्थिति कैसी थी ?

.....

.....

.....

.....

.....

६.३ राजनीतिक विकास एवं प्रक्रियाएँ

पाकिस्तान जैसे नए राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ विकसित करने के लिए आवश्यक राजनीतिक संस्थाओं की कमी थी। पाकिस्तान आंदोलन प्रमुखत: मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रान्तों के मुस्लिमों का आंदोलन था तथा यह उन क्षेत्रों में कमज़ोर था जो नए राष्ट्र का हिस्सा बने। मुस्लिम लीग केवल बंगाल तथा सिंध में ही सत्ता में थी। स्वतंत्राता प्राप्ति के एक सप्ताह बाद तक उत्तर-पश्चिमी सीमान्त प्रान्त में कांग्रेस की सरकार थी जिसे बाद में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल, मौहम्मद अली जिन्ना को स्वयं एक आदेश द्वारा भंग करना पड़ा। भारत से पाकिस्तान गये मुस्लिमों को सत्ता में बड़ी भागीदारी मिली। स्थानीय राजनीतिक अभिजात वर्ग जिन्होंने पाकिस्तान आंदोलन का विरोध किया था, को राजनीतिक पटल पर उभरने में कुछ समय लगा। पाकिस्तान आंदोलन का विरोध करने वाले स्थानीय राजनीतिक अभिजात वर्ग को राजनैतिक पटल पर उभरने में कुछ समय लगा। पूरा पाकिस्तान आंदोलन नारों पर चला तथा किसी भी स्तर पर नए देश के गठन के संबंध में लोगों को बौद्धिक स्तर पर तैयार नहीं किया गया। इस मुद्दे पर जिन्ना के अधिकांश वक्तव्य अस्पष्ट तथा ढुल-मुल थे, यद्यपि उनसे इतना तो स्पष्ट था कि उनका पाकिस्तान को इस्लामी राज्य बनाने का कोई विचार नहीं था।

शासक अभिजात वर्ग उन सिद्धांतों पर एकमत नही था जिनके आधार पर राजनीतिक प्रणाली का गठन किया जाना था। शिक्षित वर्ग पाकिस्तान को धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य बनाना चाहता था तो विशेषकर धार्मिक प्रवृत्ति के पश्चिम में लोग इसे इस्लामी राज्य बनाना चाहते थे। पाकिस्तान के गठन के बाद जल्दी ही सत्तासीन मुस्लिम लीग ने अपनी विश्वसनीयता खो दी जिसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान में राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना नहीं हो सकी तथा देश में लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ विकसित नहीं हो सकी।

६.३.१ संविधान सभा

जिस संविधान सभा का चयन अविभाजित भारत के लिए किया गया था उसे ही नए देश के लिए संविधान निर्माण का कार्य सौंपा गया। इस संविधान सभा को पाकिस्तान के केन्द्रीय विधानपालिका के रूप में भी कार्य करना था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के भारत से गए कुछ नेताओं को सभा में जगह नही मिलीं थी लेकिन बाद में सिक्ख तथा हिन्दू सदस्यों के विस्थापित हो भारत चले जाने के कारण रिक्त हुए पदों पर वे आसीन हो गए, फिर भी संविधान सभा में पूर्वी बंगाल के सदस्य हिन्दू समुदाय के थे। उनमें से कुछ भारत कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी थे। यद्यपि उनकी संख्या कम थी, फिर भी उन्होंने पाकिस्तान नैशनल कांग्रेस का गठन किया और अपने विचार सशक्त तरीके से प्रस्तुत किए किन्तु विभाजन पूर्व की पूर्वधारणाओं तथा कड़वाहट के कारण उनकी वफादारी को चुनौती दी गई तथा उन्हें संदेह की दृष्टि से देखा गया। यहां तक कि उभरते हुए अन्य विपक्षी दलों को भी ''पाकिस्तान के शत्रु'' माना गया पर मुस्लिम लीग के नेता यह बात भूल गए कि किसी लोकतंत्रा में सत्ताधारी दल के लिए निर्धारित भूमिका की ही भांति विपक्ष का भी अपना योगदान होता है। इसका परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक संस्थाओं की जड़ें मजबूत नहीं हो सकीं।

मुस्लिम लीग नेतृत्व ने भी संविधान सभा की उपेक्षा की। मुस्लिम लीग ने अपनी पार्टी के स्तर पर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की तथा संविधान सभा के समक्ष अनुमोदन के लिए उन्हें प्रस्तुत कर दिया। संविधान सभा को सर्वाधिकार प्राप्त संकाय का सम्मान देने की अपेक्षा इसे कार्यकारणी के संलग्नक में बदल दिया गया। संवैधानिक संकायों की क्षीणता के कारण ऐसी स्थिति बन गई जिसमें इन संकायों ने राज्यपाल तथा प्रधानमंत्राी के कई असंवैधानिक कार्यों को पारित करना आरम्भ कर दिया। गवर्नर जनरल, गुलाम मौहम्मद ने संविधान सभा के चुने गए नेता प्रधानमंत्राी, ख्वाज़ा नजीमुद्दीन को बर्खास्त कर दिया तथा सभा के अनुमोदन के बिना मौहम्मद अली बोगरा को नियुक्त कर दिया। इस प्रकार से राष्ट्र के प्रारम्भिक वर्षों में ही कार्यकारिणी की तुलना में विधानमंडल की गौणता की परम्परा आरम्भ हो गई।

६.३.२ जिन्ना-लियाकत काल

भारत की भांति पाकिस्तान ने प्रशासनिक तंत्रा की स्थापना के लिए भारत सरकार के १९३५ के अधिनियम को अपनाया। इस अधिनियम में राज्य के प्रधान, गवर्नर जनरलों को इसमें संशोधन करने का अधिकार दिया गया था। पहले गवर्नर जनरल, मौहम्मद अली जिन्ना ने अधिनियम में संशोधन लाने के लिए इस प्रावधान का कई बार उपयोग किया। एक ऐसे संशोधन के माध्यम से उसने स्वेच्छानुसार प्रान्तीय सरकारों को भंग करने के अधिकार प्राप्त कर लिए तथा चुनी गई सरकारों को बर्खास्त कर दिया। जिन्नाह ने राजनैतिक प्रणाली के सर्वोच्च चार पदों में से तीन पद अपने पास रखकर सत्ता का केन्द्रीकरण कर लिया - गवर्नर जनरल, संविधान सभा के अध्यक्ष तथा मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के पद। अन्य महत्वपूर्ण पद, प्रधानमंत्रा्री के पद पर लियाकत अली खान आसीन थे। लियाकत अली खान का रूतबा तथा करिश्मा जिन्ना के बराबर का न होने के कारण प्रधानमंत्रा्री के पदावनति कर दी गई। गवर्नर जनरल को सभी अधिकारों का प्रमुख माना गया। इन परिस्थितियों में देश को चलाने में नौकरशाही अहम भूमिका निभाने लगी। उदाहरण के तौर पर लेखा-परीक्षा एवं लेखा सेवा के एक अधिकारी, गुलाम मौहम्मद को वित्त मंत्रा्री नियुक्त कर दिया गया हालांकि पाकिस्तान आंदोलन में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। सितम्बर, १९४८ में जिन्नाह की मृत्यु के उपरान्त लियाकत अली खान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने तथा सर्वोच्च शासक बने। उन्होंने एक साधारण तथा निचले स्तर के क्षेत्रा्रीय नेता, ख्वाजा नजीमुद्दीन को नया गवर्नर जनरल बना दिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुस्लिम लीग नेता चौधरी खालिकुजामनन को संविधान सभा का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। लियाकत अली खान ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया को गति दी। सभा ने लक्ष्य संकल्प १९४९ में पारित किया तथा मूल सिद्धान्त समिति की रिपोर्ट १९५२ में प्रस्तुत की गई। संकल्प तथा रिपोर्ट दोनों के कारण देश में हर जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे। पश्चिमी पाकिस्तान के धार्मिक दलों ने इस बात का विरोध किया कि संकल्प में पाकिस्तान को इस्लामी राज्य घोषित नहीं किया गया था जबकि पूर्वी पाकिस्तान में रिपोर्ट में उर्दू को देश की राजभाषा बनाने के प्रस्ताव के कारण रोष और विरोध था।

६.३.३ नौकरशाही और सेना का गठबंधन

दशक के अंत तक मुस्लिम लीग ने भाषा संबंधी अपनी नीति के कारण पूर्वी पाकिस्तान का विश्वास खो दिया था। उधर मुस्लिम लीग मुख्यधारा में विघटन हुआ तथा १९४९ में आवामी लीग का गठन हुआ। पश्चिमी पाकिस्तान में मुस्लिम लीग दो अनौपचारिक समूहों में विभाजित हो गई - एक समूह लीग के पुराने सदस्यों का था जो अधिकांशत: विस्थापित भारतीय थे जबकि दूसरे समूह में नए सदस्य थे जिनमें से अधिकांश पंजाबी तथा कुछ सिंधी और पठान थे। इनमें से प्रथम समूह के लोग अधिकतर शहरी लोग थे तथा उनकी आस्था उदार लोकतांत्रिाक मान्यताओं में थी जबकि दूसरे समूह के लोग अधिकांशत: ग्रामीण पृष्ठभूमि के सामन्ती जमींदार थे जिनकी इस्लाम की रूढ़िवादिताओं में विश्वास था। लक्ष्य प्राप्ति के लिए संघर्ष से उपजने वाला आदर्शवाद उनमें नहीं था। परम्परागत तौर पर ब्रिटिश अपनी सेना और उसके अधिकारियों की भर्ती ग्रामीण क्षेत्राों तथा रूढ़िवादी सामन्ती जमींदार परिवारों से करते थे। अत: पाकिस्तान की सेना के लीग में नए शामिल होने वाले सदस्यों के साथ घनिष्ठ संबंध स्वाभाविक थे।

अक्तूबर १९५१ में प्रधानमंत्रा्री, लियाकत अली खान की हत्या के बाद ख्वाजा नजीमुद्दीन प्रधानमंत्रा्री तथा मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने। वित्त मंत्री गुलाम मौहम्मद को नया गवर्नर जनरल बनाया गया। गुलाम मौहम्मद कोई राजनेता नहीं थे तथा उन्होंने जिन्नाह के कार्य करने के तरीके को पुन: जीवित करते हुए सिविल सेवा अधिकारियों के माध्यम से कार्य करना आरम्भ कर दिया। वे मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा को रक्षा सचिव बनाकर सरकार में ले आए। मिर्जा युद्ध करने वाला जनरल नहीं था। वह ब्रिटिश राजनैतिक सेवा से संबंधित था तथा उसने अपने कैरियर का अधिकांश समय सीमान्त क्षेत्रा पर पठान विद्रोहों का दमन करने में बिताया। यही वह समय था जब जनरल अयूब खान पहले पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष बने। यही तीन व्यक्ति लोकतंत्रा के विध्वंस तथा अक्तूबर १९५८ में पहले सैनिक शासन के लिए उत्तरदायी थे। एक बार सेना के हाथ में सत्ता आ जाने से उन्होंने सुनिश्चित

किया कि सेना को देश के संविधान में स्थायी जगह मिले। लियाकत अली के बाद मुस्लिम लीग के अधिकतर अध्यक्ष सामन्ती परिवारों से आए थे। नौकरशाही को पहले से ही सत्ता की संरचना में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, फिर सेना, जमींदारों तथा नौकरशाही का गठबंधन बना। यही वह गुटतंत्रा अथवा गठबंधन था जो पाकिस्तान के सभी ऐतिहासिक उतार-चढ़ावों के बावजूद बना रहा तथा जिसने पाकिस्तान को संयुक्त राज्य अमेरिका के नव-औपनिवेशिक चंगुल में फंसा दिया।

तीनों नेताओं-गुलाम मौहम्मद, मिर्जा तथा अयूब खान ने संयुक्त राज्य अमरिका के साथ गठबंधन किया जो उस समय सोवियत संघ को दबाने के लिए सैनिक सहयोगियों की खोज कर रहा था। इससे पहले लियाकत अली ने ऐसे गठबंधन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था।

संविधान सभा ने बर्खास्तगियों तथा नियुक्तियों से संबंधित गवर्नर जनरल गुलाम मौहम्मद के कई निर्णयों को अनुमोदित किया। जब प्रधानमंत्री मौहम्मद अली बोगरा ने गवर्नर जनरल के अधिकारों में कटौती करने का प्रस्ताव रखा तो गुलाम मौहम्मद अली ने पलटवार करते हुए १९५४ में संविधान सभा को ही भंग कर दिया। इस प्रकार पहले संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य करने से पहले ही भंग हो गई । सभा के भंग किए जाने से गंभीर संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया क्योंकि संविधान सभा को भंग करने तथा नई संविधान सभा के पुनर्चयन का कोई प्रावधान नहीं था। गवर्नर जनरल को सभा भंग करने का अधिकार नहीं था। सिंध उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में वैधानिक और संवैधानिक लड़ाई में न्यायाधीश मौहम्मद मुनिर ने ''अनिवार्यता का सिद्धांत'' प्रतिपादित किया और संविधान सभा के भंग होने को वैधानिक करार दिया। "अनिवार्यता का सिद्धान्त'' वास्तव में एक प्रकार से अधिकारवादी कानून का एक विलक्षण रूप था जिसे ऐसे प्रस्तुत किया गया जैसे वह लोकतंत्रा के सिद्धान्तों के अनुरूप हो। मुनिर के सिद्धान्त का प्रभाव यह हुआ कि बल प्रयोग राज्य की शक्तियों पर अधिकार प्राप्त लोगों को यह अधिकार मिल गया। जब तक वे अनिवार्य समझें, संवैधानिक सरकार को बर्खास्त करने का कि वह जब और जितने समय तक अनिवार्य समझें संवैधानिक सरकार को बर्खास्त रख सकते थे। बाद में इसी सिद्धान्त के अनुसार १९५८ में जनरल अयूब, १९७७ में जनरल ज़िया-उल-हक तथा १९९९ में जनरल परवेज मुशर्रफ़ ने सत्ता संभालने को वैधानिक रूप दिया गया ।

१९५५ में संविधान सभा के नए चुनाव हुए। इस चुनाव में मुस्लिम लीग ने बहुमत खो दिया परन्तु किसी भी अन्य पार्टी - आवामी लीग, यूनाइटेड फ्रंट (गैर आवामी लीग पूर्व पाकिस्तानी दल) तथा रिपब्लिकन पार्टी को बहुमत नहीं मिल गया। नई संविधान सभा का योगदान यह था कि इसने १९५६ में "एक इकाई'' की प्रणाली के आधार पर नया संविधान पारित कर दिया। पश्चिमी पाकिस्तान के चार प्रान्तों - पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान तथा उत्तर पश्चिमी सीमान्त प्रान्त को इकट्ठा कर एक इकाई माना गया और उसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा गया । दूसरी ओर, पश्चिमी बंगाल तथा सिलहट जिलों को दूसरी इकाई माना गया। इसके कारण पाकिस्तान दो इकाईयों में विभक्त हो गया - पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान। राजनैतिक दृष्टि से इसका अर्थ यह हुआ कि देश की जनसंख्या में बहुमत प्राप्त होने के बावजूद बंगाली लोगों को राजनैतिक लाभ से वंचित रखा गया। १९५६ का संविधान, भले ही कैसा भी था - अच्छा या बुरा, इसमें लोकतांत्रिाक सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान था। संविधान के प्रावधानों के अनुसार प्रतिनिधि सभा के चुनाव १९५९ में कराए जाने थे। इसी बीच अयूब, मिर्जा तथा गुलाम मौहम्मद के अमेरिका समर्थक गुट की सत्ता में गहरी पैठ बन चुकी थी। वांशिगटन को विश्वास था कि अयूब तथा इस्कंदर मिर्जा इस क्षेत्रा में संयुक्त राज्य अमेरिका की योजनाओं का समर्थन करेंगे और दक्षिण-पूर्व एशियाई संधि संगठन (SEATO) तथा बाद में केन्द्रीय संधि-संगठन (CENTO) के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका - पाकिस्तान के सैनिक गठबंधन को मजबूत बनाएंगे। इस समय पर चुनावों से राजनैतिक दल मजबूत होते तथा लोगों में राजनैतिक जागरूकता को बढ़ावा मिला होता तथा गुटतंत्रा का प्रभाव समाप्त हो गया होता, जिसके भय से गुटतंत्रा ने शीघ्र कार्रवाई की। सितम्बर, १९५८ में सेना ने तख्ता पटल कर सत्ता हथिया ली। १९५६ के संविधान को खारिज कर दिया गया, राजनैतिक दलों तथा कार्यकलापों की निन्दा की गई और उन पर प्रतिबंध लगाए गए तथा देशभर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया।

६.३.४ प्रथम सैनिक शासन: अयूब-याहया काल

१९५४ में गुलाम मौहम्मद के शासनकाल के दौरान जनरल मौहम्मद अयूब खान रक्षा मंत्री तथा सेनाध्यक्ष दोनों थे। उन्होंने राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा के सहयोग से तख्ता पलट किया परन्तु सत्ता हथियाने के एक माह के भीतर ही दोनों में मतभेद हो गए। यह संदेह होने पर कि मिर्जा उसके विरूद्ध षडयंत्रा रच रहा था, जनरल अयूब ने राष्ट्रपति मिर्जा को अपदस्थ कर उसे देश निकाला देकर लंदन भेज दिया। अयूब खान ने मार्शल लॉ प्रशासक के रूप में चार वर्ष तक शासन किया। १९६२ में उसने मूलभूत लोकतांत्रिाक व्यवस्था की स्थापना की तथा अध्यक्षीय प्रणाली और नीचे से ऊपर के स्तर तक अप्रत्यक्ष मतदान के आधार पर संविधान का गठन किया गया। प्रशासन का केन्द्रीकरण किया गया और कार्यकारिणी, विधायिका तथा न्यायपालिका अलग-अलग व्यवस्थाएं नहीं रह गई थीं। १९६२ में अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के आधार पर राष्ट्रीय सभा का चुनाव किया गया जिसने संविधान को मंजूरी दी तथा राष्ट्रपति के रूप में अयूब खान के चुने जाने को औपचारिक रूप दे दिया गया। राष्ट्रपति का चुनाव लगभग ८० हजार सदस्यों के चुनाव मंडल द्वारा किया गया जिन्हें सत्तासीन लोगों ने सरलता से प्रभावित कर लिया। राष्ट्रीय सभा के पास कोई वित्तीय अधिकार नहीं थे। मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी परन्तु उनकी राष्ट्रीय सभा के प्रति कोई जवाबदेही नहीं थी। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि अयूब खान के संविधान को संवैधानिक एकतंत्रा कहा गया।

अयूब खान ने एक दशक से अधिक तक शासन किया। हार्वार्ड समूह के अर्थशास्त्रियों के परामर्श पर अपनाई गई कुछ आर्थिक नीतियों से विकास दर में वृद्धि हुई। पश्चिम में तो इसे विकास का दशक तक कहा गया किन्तु विकास का लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंचा। इसके विपरीत निर्धन तथा धनी लोगों के बीच की खाई और गहरा गई। इसी नीति के परिणामस्वरूप पाकिस्तान में प्रसिद्ध २४ एकाधिकार प्राप्त परिवारों का उदय हुआ। अयूब की भूमि सुधार नीतियाँ भी विफल रहीं क्योंकि अधिकांश बड़े जमींदारों ने इन्हें नहीं माना। निर्यात को बढ़ावा देने तथा विदेशी विनिमय कोष में सुधार लाने के उद्देश्य से चलाई गई उनकी बोनस वाउचर योजना के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। विशेषकर पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान में क्षेत्रीय असमानताएँ बढ़ीं। स्वाभाविक रूप से बंगाल के प्रति उदासीनता गहरा गई जिसका असामयिक अंत १९६९ में अयूब के सत्ता से हटने के दो वर्ष की अवधि के भीतर ही प्रान्त के अलग राष्ट्र बनने के रूप में हुआ। १९६५ के भारत-पाक युद्ध के कारण भी राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया। यह युद्ध प्रमुखत: अयूब की देन थी जिनकी सत्ता में पैठ गहरा चुकी थी तथा जिन्होंने यह सोचा था कि वह इस युद्ध के माध्यम से भारत के विरूद्ध जीत का एक और सेहरा अपने सिर पर बांध सकेंगे। ताशकंद शिखर वार्ता को भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के समक्ष पाकिस्तान के आत्मसमर्पण के रूप में देखा गया। ताशकंद शिखर वार्ता का एक और परिणाम यह निकला कि जुल्फीकार अली भुट्टो ने अयूब से नाता तोड़ लिया। १९६८ तक अयूब की करिश्माई छवि धूमिल पड़ने लगी थी। एक ओर बढ़ती हुई निर्धनता और शहरी मध्य वर्ग की हताशा तथा दूसरी ओर भ्रष्टाचार और भूमि सुधार कार्यक्रमों की विफलता के कारण आर्थिक और राजनीतिक संकट गहरा गए थे। अयूब ने पूर्वी पाकिस्तान की स्वायतता की बढ़ती हुई मांग को जोरदार ढंग से दबा दिया परन्तु इससे यह मांग और भी सशक्त होकर उनके शासन तथा उस द्वारा स्थापित राजनीतिक प्रणाली के विरूद्ध आंदोलन के रूप में उभरी।

समाज में बढ़ते हुए विरोधाभासों के कारण उत्पन्न सामाजिक अशांति की परिणति १९६८ के मध्य में व्यापक जन विद्रोह के रूप में हुई जिसके कारण अयूब खान को अचानक सत्ता छोड़नी पड़ी जिसे सेनाध्यक्ष जनरल आगा मुहम्मद याहया खान को मार्च, १९६९ में सौंप दिया गया। याहया खान ने मार्शल लॉ लागू कर दिया तथा अयूब विरोधियों की प्रमुख लोकतांत्रिाक माँगों को मान लिया। यह माँगें थीं इकाई को विभाजित करने तथा एक व्यक्ति एक मत के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव कराने की। अक्तूबर, १९७० में हुए पहले आम चुनावों में शेख मुजिबुर्रहमान के नेतृत्व में आवामी लीग को स्पष्ट बहुमत मिला। पूर्वी पाकिस्तान की राष्ट्रीय सभा जिन सीटों के लिए चुनाव हुआ था उनमें से लगभग सभी १६२ सीटों पर उसका कब्जा हो गया। पश्चिमी पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स

पार्टी (PPP) को अधिकांश सीटें मिलीं। इन चुनावों से नए राष्ट्र का सजातीय तथा भौगोलिक विभाजन स्पष्ट होता है। आवामी लीग अपने छह सूत्री कार्यक्रम के साथ पूर्वी पाकिस्तान की प्रमुख पार्टी बनी तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पी.पी.पी.) सशक्त केन्द्र के अपने कार्यक्रम के कारण पश्चिमी पाकिस्तान में वर्चस्व में बनी रही। याहया खान ने जुल्फीकार अली भुट्टो का समर्थन करते हुए आवामी लीग को सरकार नहीं बनाने दी जिसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान में खूनी गृहयुद्ध छिड़ गया जिसकी परिणति पाकिस्तान के विभाजन तथा बांग्लादेश के जन्म के रूप में हुई।

६.३.५ जुल्फीकार अली भुट्टो के नेतृत्व में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी: ज़िया-उल-हक़ काल

१९६८-१९६९ में अयूब खान शासन के विरूद्ध आंदोलन के दौरान जुल्फीकार अली भुट्टो नेता बनकर सामने आए। १९६६ में ताशकंद घोषणा पर अयूब के साथ मतभेद के कारण भुट्टो ने सरकार छोड़कर १९६७ में कुछ वामपंथी बुद्धिजीवियों के सहयोग से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गठन कर लिया। १९७० के राष्ट्रीय सभा चुनावों में उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान में अपनी पार्टी को जीत दिलाई। १९७१ के भारत-पाक युद्ध में पाकिस्तान की हार के बाद याहया शासन के समाप्त होने पर भुट्टो को राष्ट्रपति पद तथा प्रमुख मार्शल लॉ प्रशासक के पद की शपथ दिलाई गई। शायद वह विश्व भर के प्रथम असैनिक मार्शल लॉ प्रशासक थे। उनके कंधों पर असीम जिम्मेवारियाँ थीं। १९७१ में करारी हार के बाद देश की स्थिति नाजुक थी, देश विभक्त और हतोत्साहित था और लगभग दिवालिएपन के कगार पर था। वह समस्याओं के समाधान तथा देश के उत्थान के लिए कटिबद्ध थे। कुछ ही सप्ताहों में उन्होंने स्थायी संविधान की तैयारी के रूप में अंतरिम संविधान लागू कर दिया। १९७३ में लागू संविधान को देश की सभी राजनीतिक शक्तियों का समर्थन प्राप्त था। यह देश के लोगों के चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा तैयार किया गया प्रथम संविधान था। १९७३ के संविधान में संघीय व्यवस्था पर आधारित सरकार की संसदीय प्रणाली प्रतिपादित की गई। राष्ट्रपति महज अध्यक्ष बन कर रह गया। संविधान लागू करने के उपरान्त भुट्टो ने सरकार बनाई। फजल इलाही चौधरी को राष्ट्रपति चुना गया।

प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद उन्होंने कई सुधार कार्यक्रम आरम्भ किए जिनमें बंग्लादेश संकट के दौरान पाकिस्तान की हार तथा बर्बादी के लिए जिम्मेदार कई जनरलों को अपदस्थ करना, असैनिक उद्देश्यों के लिए सेना के उपयोग को रोकने के उद्देश्य से पैरा-मिलिटरी, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स (FSF) का गठन, कई बैंकों तथा अन्य प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण और कई प्रगामी भूमि सुधार कार्यक्रम शामिल थे। भुट्टो सरकार ने सिंधी को सिंध प्रान्त में पढ़ाई की भाषा के माध्यम के रूप में पहचाना परन्तु इसका उर्दू समर्थकों ने हिंसात्मक विरोध किया। उन्होंने भारतीय सिविल सेना की ब्रिटिश काल की प्रणाली के अनुसार चल रही अभिजात वर्ग प्रणाली की अपेक्षा सेवाओं में सम्पूर्ण पाकिस्तान के लिए एक ग्रेड प्रणाली आरम्भ की। विविध सरकारी कार्यकलापों को समूहों में विभक्त किया गया जैसे जिला प्रबंधन समूह, विदेशी मामले समूह इत्यादि। १९७७ के चुनावों में पी पी पी पर धांधली के आरोप लगे। यह स्पष्ट था कि भुट्टो की लोकप्रियता कम हो चुकी थी तथा उसकी वैधानिकता को भी धक्का पहुँचा था। सेना ने सरकार के कमजोर होने का लाभ उठाया तथा ५ जुलाई, १९७७ को जनरल-ज़िया-उल-हक ने सरकार को हटा दिया, संविधान बर्खास्त कर दिया, सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिए और देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। इस प्रकार से सैनिक शासन की दूसरी पारी की शुरूआत हुई।

६.३.६ सैनिक शासन की दूसरी पारी : जनरल ज़िया-उल-हक काल

जनरल ज़िया-उल-हक ने संविधान खारिज नहीं किया अपितु इसे स्थगित अवस्था में रहने दिया। सितम्बर, १९७७ में उसने आपातकाल तो हटा दिया परन्तु मार्शल लॉ जारी रखा। उसने राष्ट्रपति को नाममात्रा के कार्यों को करते रहने दिया। उसने भुट्टो पर प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई की। भुट्टो को पी.पी.पी. के भूतपूर्व सदस्य के पिता की हत्या में हाथ होने के आरोप में गिरतार किया गया। लाहौर उच्च न्यायालय ने हत्या के लिए षडयंत्रा रचने के आरोप में उन्हें मौत की सजा सुनाई। भुट्टो

को अप्रैल १९७९ में फांसी लगा दी गई। तख्ता पलट के तत्काल बाद जनरल ज़िया-उल-हक ने ९० दिन के भीतर चुनाव कराने की घोषणा कर दी पर चूंकि जनरल ज़िया के पास इसकी कोई वैधानिकता नहीं थी इसलिए वह किसी न किसी बहाने से चुनाव टालता गया। धीरे-धीरे लोगों में सैनिक शासन के विरूद्ध रोष पनपने लगा। मार्च, १९८७ में विद्रोह ने संगठित रूप ले लिया जब पी.पी.पी. की अध्यक्षता में राजनैतिक दलों के गठबंधन ने लोकतंत्रा की पुनर्स्थापना के लिए आंदोलन (एम आर डी) चलाया। प्रतिक्रिया स्वरूप जनरल ज़िया ने कुछ असैनिक मंत्रियों को अपनी सरकार में शामिल कर लिया तथा प्रान्तों की सरकारों में भी सामान्य नागरिकों को लाया गया। उसने अंतरिम संविधान लागू किया तथा परामर्शदात्राी सभा का गठन किया जिसे मजलिस-ए-शूरा कहा गया। ३०० सदस्यों वाली शूरा का कार्य विधानमंडल मामलों पर सरकार को परामर्श देना था। जनरल ज़िया का विश्वास था कि इस्लाम के तरीके अपनाने से न केवल उसे वैधानिकता मिल जाएगी अपितु वह ऐसी नई राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने में भी सफल होंगे जिसे बदलना किसी भी लोकतांत्रिाक सरकार के लिए मुश्किल होगा। शूरा से इस्लाम की आवश्यकताओं के अनुरूप लोकतांत्रिाक प्रणाली तैयार करने के लिए कहा गया। इसी बीच उसने इस्लाम के कर्मकाण्डों के अनुसार कार्य करना आरम्भ कर दिया तथा इनका अनुपालन सुनिश्चित करने और निगरानी के लिए प्रार्थना वार्डनों की नियुक्ति की गई, इस्लाम बैंक खोले गए, जकात की अनिवार्य कटौती की गई तथा इसी प्रकार के अन्य तरीके अपनाए गए। नागरिक स्वतंत्राता, राजनीतिक कार्यकलापों तथा प्रेस पर प्रतिबंधों में कोई छूट नहीं दी गई। अपराधियों तथा राजविद्रोहियों पर सार्वजनिक महाभियोग चलाए गए तथा उन्हें सार्वजनिक रूप से कोड़े लगाए गए अथवा उन पर उन्होंने लाठियाँ बरसाई गईं। दिसम्बर, १९८४ में उन्होंने राष्ट्रपति के पद पर अपनी स्थिति के संबध में जनमत संग्रह कराया जिसका सभी राजनीतिक दलों ने बहिष्कार किया। मत पत्रों की तोड़ी-मरोड़ी गई भाषा तथा कम मतदान जनरल ज़िया के पक्ष में रहा। यह एक रोचक तथ्य है कि बाद में जनरल परवेज मुर्शरफ़ ने इसी प्रकार का जनमत संग्रह कराया और उसके परिणाम भी इसके समान ही थे।

तथाकथित जनमत संग्रह में विजय प्राप्त करने के उपरान्त जनरल ज़िया ने मार्च, १९८५ में राष्ट्रीय सभा के चुनाव गैर-पार्टी आधार पर कराने का निर्णय लिया। राजनीतिक दलों को उम्मीदवार नामित करने की अनुमति नहीं दी गई। इसके अतिरिक्त चुनाव की सामान्य विशेषताओं यानि जलूसों, प्रदर्शनों, चुनाव प्रचार और यहाँ तक कि घोषणा पत्रा इत्यादि पर प्रतिबंध लगाया गया। ज़िया के समर्थक दलों को छोड़कर अधिकांश राजनीतिक दलों ने चुनावों का बहिष्कार किया। यह बात सबको ज्ञात थी कि पी. पी. पी. की भागीदारी के बिना चुनावों को वैधता नहीं मिल पाएगी। इसलिए जनरल ज़िया-उल-हक ने बेनजीर को चुनावों में भाग लेने के लिए राजी करने के प्रयास किए। यहाँ तक कि चुनावों के लिए गैर-पार्टी का प्रावधान हटाने की भी पेशकश की परन्तु बेनजीर ने चुनावों में भाग लेने से इन्कार कर दिया, बाद में उसे अपने इस निर्णय पर अफसोस भी हुआ। उसने इस तथ्य की उपेक्षा की कि चुनावों का अपना महत्व होता है तथा बाद में यह सिद्ध भी हुआ। मौहम्मद खान जुनेजो, मुस्लिम लीग के सामान्य जिला स्तर के नेता थे ज़िया ने उनको गैर दलीय राष्ट्रीय सभा का प्रधानमंत्राी बना दिया, जो बाद में सेना के हाथ की कठपुतली मात्रा बनकर रहने की अपेक्षा पाकिस्तान सरकार के अध्यक्ष के रूप में अपनी शक्तियों को इस्तेमाल में लाना चाहते थे। वह राष्ट्रपति ज़िया की इच्छाओं के विरूद्ध कई निर्णय लेने में कामयाब हुए जिसकी कीमत उन्हें बाद में मई, १९८८ में चुकानी पड़ी जब ज़िया ने उन्हें अपदस्थ कर दिया। चुनावों के परिणाम ज़िया के लिए आश्चर्यजनक थे क्योंकि पी. पी. पी. के समर्थक माने जाने वाले कई उम्मीदवार चुने गए थे जबकि ज़िया शासन के कई समर्थकों को हार का मुंह देखना पड़ा था। एक बार राष्ट्रीय सभा का चयन होने के बाद यह महसूस किया गया कि कोई सरकार सत्ताधारी दल के बिना कार्य नहीं कर सकती। अत: जनरल ज़िया को राजनीतिक दलों को पुनर्जीवित करना पड़ा तथा मौहम्मद खान जुनेजो मुस्लिम लीग (पगारा) के नेता बन गए। नई राष्ट्रीय सभा ने नामित मजलिस-ए-शूरा का स्थान ले लिया।

राष्ट्रीय सभा के प्रारम्भिक सत्रा की पूर्व संध्या पर जब प्रधानमंत्राी ने मार्शल लॉ हटाने की मांगी की तो जनरल ज़िया इसके लिए इस शर्त पर सहमत हो गए कि सभा को स्वीकार्य कई संवैधानिक

संशोधनों के बाद ऐसा किया जाएगा। १९७३ के संविधान के खण्ड ५८ (।।) ख में संशोधन से राष्ट्रपति की शक्तियों तथा अधिकारों में वृद्धि हुई। इसे आठवाँ संशोधन कहा गया। मूलत: राष्ट्रपति महज एक संवैधानिक अध्यक्ष था किन्तु आठवें संशोधन में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति तथा बर्खास्तगी, राष्ट्रीय सभा भंग करने तथा प्रधानमंत्री द्वारा पारित कानूनों को अस्वीकार करने, नए चुनाव कराने, सेना तथा न्यायपालिका में उच्च पदों पर नियुक्तियाँ करने के अधिकार दे दिए गए। इस प्रकार से आठवें संशोधन से संविधान का मूल रूप ही बदल गया जो कि संसदीय प्रणाली से बदलकर अध्यक्षीय प्रणाली पर आधारित हो गया। यह एक रोचक तथ्य है कि इसके बाद १९९६ में बेनजीर भुट्टो की बर्खास्तगी तक सभी प्रधानमंत्रियों की बर्खास्तगी इसी संशोधन के अन्तर्गत राष्ट्रपति को दिए गए अधिकारों के तहत की गई तथा प्रत्येक मामले में एक समान भाषा प्रयोग में लाई गई, प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार, अयोग्यता, कुप्रशासन इत्यादि के आरोप लगाए गए। सरकार तथा राष्ट्रीय सभा की निगरानी के लिए परा-संवैधानिक संकल्प के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन करने का भी प्रावधान था। आठवें संशोधन के एक अन्य प्रावधान के तहत उन सभी परिवर्तनों को अनुमोदित कर दिया गया जो जनरल ज़िया ने जुलाई, १९७७ में मार्शल लॉ लागू होने के बाद से संविधान में किए थे।

दिसम्बर, १९८५ में जनरल ज़िया ने मार्शल लॉ तथा सैनिक शासन हटा दिया। जुनेजो अब औपचारिक तौर पर मुस्लिम लीग के नेता तथा देश के प्रधानमंत्री बन गए परन्तु सैनिक शासन का असैनिक मुखौटा लोगों को विश्वास में नहीं ले सका। लोकतंत्रा की पुनर्स्थापना के लिए आंदोलन (The Movement for the Restoration of Democracy - MRD) जोरदार ढंग से चलता रहा। राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक संकट गहरा गए। प्रान्तों में बढ़ती हुई क्षेत्रीय असमानताओं के विरूद्ध संजातीय तथा क्षेत्रीय आंदोलन हुए। नवम्बर, १९८७ के स्थानीय निकायों के चुनावों ने लोगों को अपनी नाराजगी व्यक्त करने का माध्यम उपलब्ध कराया। जुनेजो भी अधिक आत्मविश्वासी हो रहा था तथा वह कार्य करने के लिए अधिक स्वतंत्राता चाहते थे। जनरल ज़िया को जुनेजो की बढ़ती हुई स्वतंत्राता पसंद नहीं आई तथा मई के अन्त में बर्खास्त कर दिया गया तथा राष्ट्रीय व प्रान्तीय सभाओं के लिए नए चुनाव उसी वर्ष नवम्बर में कराने की घोषणा की गई परन्तु चुनाव होने से पहले ही १७ अगस्त, १९८८ को वायुयान दुर्घटना में जनरल ज़िया की मृत्यु हो गई।

६.३.७ लोकतंत्र की पुनर्स्थापना : गुलाम इशाक़ खान काल

गुलाम इशाक खान एक सामान्य नौकरशाह थे जो सेवा में निचले स्तर से ऊपर के पद तक पहुँचे थे। सीनेट का अध्यक्ष होने के कारण वह संविधान के प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति ज़िया-उल-हक की मृत्यु के उपरान्त राष्ट्रपति पद पर आसीन हो गया। उसने सरकार को चलाने के लिए आपातकालीन राष्ट्रीय परिषद का गठन किया जिसमें शीर्षस्थ सेनाधिकारी, प्रान्तों के चार गवर्नर तथा चार संघीय मंत्री थे। अभी गुलाम इशाक खान राजनीतिक स्थिति पर विचार कर ही रहा था क्योंकि चुनावों को स्थगित करना या फिर पुन: मार्शल लॉ लगाना मुश्किल हो गया था इसी बीच कुछ कानूनी निर्णय राजनीतिक दलों के पक्ष में हुए। न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार जनरल ज़िया द्वारा गठित राष्ट्रीय सभा को भंग कर दिया गया तो दूसरे न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि चुनाव पार्टी आधार पर करवाए जाएँ। अक्तूबर, १९८८ में हुए चुनावों में सेना तथा नौकरशाही द्वारा पी पी पी को रोकने के लिए किए गए प्रयासों के बावजूद यह सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। बेनजीर भुट्टो को दिसम्बर, १९८८ में प्रधानमंत्री बनाया गया। पी. पी. पी. सरकार ने लोकतंत्रा को मजबूत बनाने के लिए राजनीतिक नेताओं के विरूद्ध सारे मामले वापस ले लिए तथा मज़दूर संघों व छात्रा संघों पर से सारे प्रतिबंध हटा दिए। यद्यपि पी. पी. पी. के पास सीनेट में पर्याप्त बहुमत नहीं था, तथापि इसने आठवें संशोधन को रद्द करने के लिए कदम उठाए। नवाज शरीफ जो जनरल ज़िया का आश्रित था, उसके नेतृत्व ने विपक्ष में बेनजीर की नीतियों के मार्ग में कई समस्याएँ खड़ी कर दीं।

प्रान्तीय चुनावों में पी. पी. पी. को किसी भी प्रान्त में बहुमत नहीं मिला यद्यपि यह सिंध तथा उ प सी प्रान्त में अपनी गठबंधन सरकारें बनाने में सफल रही। इस्लामिक डेमोक्रेटिक एलायंस

(IDA) नवाज शरीफ के नेतृत्व में पंजाब में अपने बलबूते पर सरकार बनाने में सफल हुआ। बलूचिस्तान में क्षेत्रीय दलों जैसे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, जमायतुल उलामई इस्लाम तथा आई. जे. ए. ने गठबंधन सरकार बनाई परन्तु पाकिस्तान में गठबंधन सरकारें लम्बे समय तक नहीं चल सकीं और दो प्रान्तों में पी. पी. पी. नेतृत्व वाले गठबंधन शीघ्र टूट गए। इससे भी केन्द्र में बेनजीर सरकार कमजोर हुई क्योंकि यह भी अनिश्चित रूप से संतुलित गठबंधन पर टिकी थी। मुहाजिर कौमी आंदोलन (MQM) ने शिकायत की कि इसे किए वादों को लागू नहीं किया गया है किन्तु पी. पी. पी. के साथ समस्या यह थी कि सिंध में इसे मिली किसी भी रियायत का प्रान्त में पी पी पी के समर्थक आधार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसी बीच विपक्षी दलों ने मिलकर संयुक्त विपक्षी दल (COP) का गठन कर लिया था। अक्तूबर, १९८९ में एम क्यू एम सरकार से बाहर चली गई। शीघ्र ही सरकार के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इस बार भी १९८८ की भांति आई. एस. आई. प्रस्ताव के समर्थन में विपक्षी दलों को एकजुट करने में सक्रिय भूमिका निभा रही थी किन्तु फिर भी प्रस्ताव विफल हो गया। विशेषकर सिंध में संजातीय संघर्ष फिर से छिड़ गए। मुहाजिरों तथा उनकी संस्था एम. क्यू. एम. पर हमले और तेज हो गए। पी. पी. पी. सरकार पर लगातार रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार तथा कुप्रशासन के आरोप लग रहे थे। कानून एवं व्यवस्था भी बिगड़ गई थी। मंहगाई तथा बेरोजगारी के कारण आर्थिक व्यवस्था में भी गिरावट आई। अगस्त, १९९० में राष्ट्रपति गुलाम इशाक खान ने सेना की सहमति से सरकार पर भ्रष्टाचार तथा आर्थिक स्तर पर अकुशलता जैसे असंवैधानिक आरोप लगाते हुए बर्खास्त कर दिया। नवम्बर में नए चुनावों की घोषणा करते हुए उसने सी ओ पी नेता गुलाम मुस्तफा जटोई की अध्यक्षता में केयरटेकर सरकार नियुक्त कर दी।

६.३.८ राजनीति में मध्यस्थ के रूप में सेना: १९९३ का राजनीतिक संकट

नवाज शरीफ राष्ट्रपति गुलाम इशाक खान का ऐसी परिस्थितियाँ बनाने के लिए आभारी था जिसमें वह बेनजीर को हटाकर सरकार बना सकता था किन्तु एक बार सत्ता में आने के बाद नवाज तथा इशाक में मतभेद उत्पन्न हो गए। यह आरोप लगाया गया कि शरीफ सरकार को अस्थिर बनाने के लिए सरकार के कुछ मंत्रियों के त्यागपत्रा में राष्ट्रपति का हाथ था। राष्ट्रपति द्वारा सरकार को बर्खास्त करने से पहले कई दिनों तक यह सब चलता रहा। १८ अप्रैल, १९९३ को राष्ट्रीय सभा भंग कर दी गई। राष्ट्रपति ने नवाज शरीफ पर कुप्रशासन, भ्रष्टाचार, आर्थिक हेरा-फेरी, अयोग्यता तथा संविधान के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगाए। पी. पी. पी. के कुछ बागी सदस्यों सहित कई बागी नेताओं को मिलाकर केयरटेकर सरकार नियुक्त की गई। आरोप जो भी रहे हों, वे वास्तव में १९९० में बेनजीर तथा १९८८ में जुनेजो पर लगाए गए आरोपों से भिन्न नहीं थे। अत: विवाद का मुद्दा था - आठवें संशोधन के तहत राष्ट्रपति के असीम अधिकार। शरीफ ने इस संशोधन पर तीखे हमले बोले जबकि राष्ट्रपति ने इसका समर्थन किया और इसे 'सेफ्टी वाल्व' बताया।

देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब राष्ट्रपति द्वारा किसी सरकार की बर्खास्तगी पर लोगों में बड़े पैमाने पर रोष प्रकट हुआ। राष्ट्रीय सभा के स्पीकर ने न्यायालय में एक याचिका दायर की जिसमें बर्खास्तगी पर दुर्भावपूर्ण और असंवैधानिक होने का आरोप लगाया गया। मुख्य न्यायाधीश, नसीम हसन शाह ने बर्खास्तगी को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द करा दिया। राष्ट्रीय सभा बुलाई गई तथा नवाज शरीफ को विश्वास मत मिल गया और उनकी पद पर वापसी हुई। यह पाकिस्तान की न्यायपालिका के इतिहास में ऐसा पहला अनूठा निर्णय था। पहले के सभी अवसरों पर न्यायालय ने राष्ट्रपतियों के निर्णयों पर अपनी सहमति व्यक्त की थी जिसमें मौहम्मद खान जुनेजो और बेनजीर की बर्खास्तगी शामिल थी।

नवाज शरीफ और इशाक खान के बीच राजनीतिक शत्रुता कम नहीं हुई और राष्ट्रपति ने शरीफ के राजनीतिक आधार पर चोट पहुंचाने का निर्णय लिया। पंजाब में प्रान्तीय मुस्लिम लीग सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। गतिरोध जारी रहा तथा इससे शेयर बाजार में बौखलाहट और अनिश्चितता आ गई जिसका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा। सेना को दोनों के विवाद के बीच संकट सुलझाने के लिए लाया गया। कई दिनों तक चले गहन विचार-विमर्श के उपरान्त

जनरल अब्दुल वहीद कक्कड़ इस समझौते पर पहुंचे कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही इस्तीफा दें। इसके बाद विश्व बैंक के कर्मचारी डा मोइन कुरैशी को प्रधानमंत्री बनाते हुए उनकी अध्यक्षता में केयरटेकर सरकार का गठन किया गया। सीनेट के भूतपूर्व अध्यक्ष, वसीम सज्जाद को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया। कुरैशी के मंत्रीमंडल में वरिष्ठ नौकरशाहों को मंत्री बनाया गया। राष्ट्रीय तथा प्रान्तीय सभाओं के लिए अक्तूबर, १९९३ में चुनाव कराने का निर्णय लिया गया। ये पांच वर्ष की अवधि में तीसरे चुनाव थे। राष्ट्रीय सभा में पी. पी. पी. सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। चुनाव परिणामों से पता चला कि लोग देश में लोकतांत्रिक प्रणाली चाहते थे। रूढ़िवादी दलों को हार का मुंह देखना पड़ा। यद्यपि पी. पी. पी. को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, फिर भी बेनजीर कुछ मित्र दलों तथा निर्दलीय उम्मीदवारों के सहयोग से प्रधानमंत्री बनीं।

६.३.९ जनरल मुशर्रफ़ का सैनिक शासन

जनरल ज़िया-उल-हक की मृत्यु के उपरान्त के दशक में यह लगने लगा था कि असैनिक तथा सैनिक नेतृत्व के बीच एक प्रकार का संतुलन स्थापित हो चुका है। चार चुनाव हुए और चार सरकारें बनी हालांकि उनमें से कोई भी अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं कर सकी परन्तु १९९७ के आरम्भ में बनी नवाज शरीफ सरकार ने राजनीतिक संकट को और गहरा दिया। न्यायपालिका में स्पष्ट बहुमत मिलने पर नवाज शरीफ सरकार ने कुछ विवादास्पद निर्णय लिए। सर्वप्रथम, उसने आठवें संशोधन को निरस्त कर दिया जिसने राष्ट्रपति को अभूतपूर्व अधिकार प्रदान किए थे। उसके बाद उच्चतर न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियों में अपनी पकड़ बनाने के लिए सरकार ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, सज्जाद अली शाह के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का विद्रोह करवा दिया। सेना की अपेक्षा असैनिक अधिकारियों को अधिक अधिकार देने के प्रयासों के तहत नवाज शरीफ ने तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल-जहांगीर करामत को त्यागपत्र देने के लिए मजबूर किया। कारगिल की घटना के बाद सेनाध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ़ की सरकार से अनबन हो गई। १२ अक्तूबर, १९९९ को नवाज शरीफ ने जनरल परवेज मुशर्रफ़ को अपदस्थ करके अपने अंतरंग मित्र जनरल ज़िआउद्दीन बट्ट को उसके स्थान पर नियुक्त कर दिया। जनरल मुशर्रफ़ उस समय श्रीलंका से वापिस आ रहे थे, अपने को बचाने के अतिरिक्त उनके पास कोई रास्ता नहीं था किन्तु कोपर्स कमांडर ने अपने अध्यक्ष की बर्खास्तगी को मानने तथा नए अध्यक्ष ज़ियाउद्दीन को कार्यभार सौंपने से इन्कार कर दिया। मुशर्रफ़ के वापस आने के बाद उसने सरकार को बर्खास्त कर दिया, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ तथा अन्य नेताओं को गिरतार कर लिया गया तथा नया अंतरिम संवैधानिक आदेश (PCO) लागू कर दिया, बाद में इसके पक्ष में उच्चतम न्यायालय ने भी निर्णय दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ़ ने मार्शल लॉ लागू नहीं किया परन्तु स्वयं को प्रमुख कार्यकारी (Chief Executive) घोषित कर दिया। बाद में जून, २००१ में उन्होंने राष्ट्रपति रफ़ीक तरार को त्यागपत्र देने के लिए विवश किया और स्वयं राष्ट्रपति का पद संभाल लिया।

उच्चतम न्यायालय ने चुनाव कराने के लिए परवेज मुशर्रफ़ को ३ वर्ष का समय दिया तथा अक्तूबर, २००२ में चुनाव करा लिए गए। चुनाव के असुविधाजनक परिणाम निकलने की स्थिति के मद्देनजर चुनावों से पहले जनरल परवेज मुशर्रफ़ ने संविधान में कई संशोधन किए। उसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) पार्टी के बागियों की एक नई पार्टी भी बनाई - पाकिस्तान मुस्लिम लीग (क्यू)। दोनों पूर्व प्रधानमंत्रियों, बेनजीर तथा नवाज शरीफ को विदेश में दिए गए जबरन देश निकाले से वापस आने की अनुमति नहीं दी गई। अक्तूबर के चुनावों में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। पी. पी. पी. के कुछ सदस्यों को पार्टी से अलग करवा कर पी. एम. एल. (क्यू) के ज़फरूल्ला खान जमाली को एकमत से बहुमत प्राप्त हो गया और उसने सरकार बनाई। विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति मुशर्रफ़ द्वारा संविधान में किए गए संशोधनों, जिन्हें "लीगल फ्रेमवर्क आर्डर" (LFO) कहा गया है, तथा राष्ट्रपति होने के साथ-साथ सेनाध्यक्ष बने रहने के निर्णय को मानने से इन्कार कर दिया है।

बोध प्रश्न २

नोट : अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए खाली स्थान को उपयोग में लाएँ।

अपने उत्तर की जांच अध्याय के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

१) पाकिस्तान की राजनीति में सेना, जमींदारों तथा नौकरशाहों के गठबंधन का कब और कैसे उदय हुआ?

.....

.....

.....

.....

२) संविधान का आठवाँ संशोधन एक हौवा क्यों बना हुआ है?

.....

.....

.....

.....

३) नवाज शरीफ सरकार की वे कौन सी नीतियाँ थीं जिनके कारण देश में राजनीतिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई और जिसके परिणामस्वरूप परवेज मुशर्रफ द्वारा तख्ता पलट हुआ?

.....

.....

.....

.....

६.४ नौकरशाही

भारतीय नौकरशाही, का विकास ब्रिटिश शासन द्वारा केन्द्रीयकृत प्रशासनिक तंत्रा के रूप में किया गया जिसमें ऊपर के चयनित काडर को भारतीय सिविल सेवा (आई. सी. एस.) कहा जाता था। इसीका एक भाग बाद में पाकिस्तान की नौकरशाही बन गया। केन्द्रीय तथा प्रान्तीय प्रशासनों के सभी प्रमुख पदों पर उनकी नियुक्ति होती थी। वे जिला प्रशासन के भी अध्यक्ष होते थे। इन अभिजातवर्गीय काडरों के अन्तर्गत प्रान्तीय सिविल काडरों तथा विशिष्ट सेवा अधिकारियों को पद दिए जाते थे। आई. सी. एस. के स्थान पर पाकिस्तान सिविल सेवा (Civil Service of Pakistan) लागू करके पाकिस्तान ने इस संरचना को बनाए रखा। पाकिस्तानी नेतृत्व ने एक स्वतंत्रा देश की आवश्यकताओं के अनुरूप औपनिवेशिक नौकरशाही अपनाने की अपेक्षा पुरानी प्रणाली को सुदृढ़ बनाने में अपना योगदान दिया। सर्वप्रथम जिन्नाह ने एक उच्च नौकरशाह, गुलाम मौहम्मद को मंत्री बनाया था। उसने पाकिस्तान सरकार के महासचिव का पद भी सृजित किया था। महासचिव पाकिस्तान सरकार के सभी सचिवों को नियंत्रित करता था। वह विभिन्न मंत्रालयों के सभी सचिवों का अध्यक्ष था। सभी महत्वपूर्ण निर्णय सचिवों की समिति द्वारा लिये जाते थे जो लम्बे सैनिक तथा सत्तावादी शासनकालों के दौरान पैरा मंत्रीमंडल के रूप में कार्य करती थी। पी पी पी सरकार के

जुल्फीकार अली भुट्टो ने एक समान ग्रेड प्रणाली लागू करके इस प्रणाली में सुधार किया। ज़िया के शासनकाल में कई सुधारों को रद्द किया गया तथा पुरानी प्रणाली अपनाई गई।

६.५ सेना

पाकिस्तानी सेना ब्रिटिश भारतीय सेना का हिस्सा थी तथा परम्पराओं से ओत-प्रोत थी किन्तु इसका एक अपवाद भी था। ब्रिटिश सेना गैर-राजनीतिक थी जबकि पाकिस्तानी सेना १९४७ में देश की स्थापना के साथ ही राजनीति में शामिल हो गई। ब्रिटिश काल में सेना अधिकारी तथा सिपाही ग्रामीण क्षेत्रों तथा जमींदार वर्ग से भर्ती किए जाते थे। वे शहरी और शिक्षित वर्ग के नहीं होते थे। पाकिस्तान ने इसी परम्परा को जारी रखा और उन्हीं वर्गों में से अधिकारियों और सैनिकों की भर्ती की। देश में सैनिक शासन की पारियों के दौरान सैनिकों तथा सेना अधिकारियों को नए बने बांधों के कारण कृषि योग्य बनाई गई भूमि में से कुछ भूमि दी जाती थी। इसी प्रकार से सेना कार्मिकों को निर्यात-आयात लाइसेंस दिए जाते थे तथा सैनिक शासन के दौरान उन्हें बड़े निगमों तथा व्यापार घरानों का अध्यक्ष बनाया जाता था। सेना ने अपने कई व्यापार उद्यम बनाए हैं तथा अयूब, ज़िया और मुशर्रफ़ के सैनिक शासनों के दौरान तरजीह दिए जाने के कारण इनका तीव्र विकास हुआ है। ये सेना अधिकारी तथा सैनिक जमींदारों, व्यापारियों तथा उद्योगपतियों के वर्ग के रूप में उभरे हैं। अयूब के शासनकाल के बाद तथा ज़िया शासन के दौरान मध्य वर्ग को अत्यधिक लाभ मिला। इसका प्रमुख हिस्सा सेना से जुड़े लोगों को मिला।

६.६ चुनाव एवं राजनीतिक दल

पाकिस्तान में राजनीतिक आंदोलन की कमजोरी का प्रमुख कारण राजनीतिक दलों की कमजोरी रहा है। राजनीतिक दल एक ओर सक्रिय लोकतांत्रिाक प्रक्रियाओं द्वारा सुदृढ़ बनते है तो दूसरी ओर राजनीतिक दल लोकतांत्रिाक प्रक्रियाओं को मजबूती देते हैं। जहाँ एक ओर सक्रिय लोकतांत्रिाक प्रक्रियाओं से राजनीतिक दाम सुदृढ़ होते है वही दूसरी ओर राजनीतिक दलों की उपस्थिति भी लोकतांत्रिाक प्रक्रियाओं का मजबूती देती है। यह विडम्बना रही है कि मुस्लिम लीग, जो पाकिस्तान के अलग देश बनने की मांग कर रही थी, का उस क्षेत्रा में कोई जनाधार ही नहीं था जो नए देश के अन्तर्गत आना था। इसके अतिरिक्त मुस्लिम लीग के नेता देश की राजनीति की रूपरेखा पर एकमत नहीं हो सके। देश के लिए संविधान का गठन तक नहीं हो सका तो केन्द्रीय न्यायपालिका के चुनावों का तो प्रश्न ही नहीं उठता। प्रान्तों में कुछ चुनाव कराए गए परन्तु १९३५ के संविधान के अन्तर्गत मतदाता बहुत कम थे। बाद में जून, १९५६ का संविधान गठित हुआ तो चुनाव कराए जाने से पहले ही अयूब खान के सैनिक शासन के दौरान १९५८ में इसे निरस्त कर दिया गया। ऊपर के स्तर से लेकर नीचे तक अप्रत्यक्ष मतदान पर आधारित अयूब के संविधान में लम्बे समय तक राजनीतिक दलों को प्रतिबंधित कर दिया गया। यद्यपि बाद में प्रतिबंध हटा लिया गया परन्तु अयूब खान की संवैधानिक निरंकुशता में राजनीतिक दलों के लिए कोई स्थान नहीं था। पहले आम चुनाव १९७० में जनरल याहया खान के सैनिक शासन के अन्तर्गत व्यस्क मतदान और क्षेत्रीय चुनाव क्षेत्रा के आधार पर कराए गए। इन चुनावों में पी. पी. पी. को पश्चिमी पाकिस्तान में बहुमत मिलने तथा पूर्वी पाकिस्तान की लगभग सभी सीटों पर आवामी लीग की जीत से देश दो भागों में विभक्त हो गया। इसके घातक परिणाम निकले क्योंकि इसके परिणामस्वरूप पूर्वी भाग अलग होकर स्वतंत्रा राष्ट्र बन गया।

जुल्फीकार अली भुट्टो ने सत्ता में पाकिस्तान में पहली लोकतांत्रिाक सरकार बनाई। भुट्टो ने उस समय पाकिस्तान की सत्ता संभाली जब वह हार तथा पूर्वी भाग के अलग होने के सदमे को झेल रहा था। अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त थी, लोग हतोत्साहित थे। भुट्टो ने लोकतंत्रा को मजबूत बनाने के प्रयास किए परन्तु उनकी समस्या यह थी कि वह पाकिस्तान के बड़े सामन्ती खानदान से संबंध रखते

थे। एक हाथ से वह स्वतंत्राता प्रदान करते थे तो दूसरे हाथ से छीन लेते थे। उनके सत्तावादी व्यवहार के कारण विपक्ष उनका विरोधी हो गया तथा उनकी पार्टी भी लोगों का गुस्सा झेल न सकी। इसलिए, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि जब जनरल ज़िया ने सत्ता संभाली और भुट्टो को गिरफ्तार किया गया, तो लोगों ने इसका कोई विरोध नहीं किया। ज़िया ने अपने ११ वर्ष के शासनकाल के दौरान राजनीतिक दलों तथा राजनीतिक कार्यकलापों पर प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ तक कि उन्होंने पार्टी रहित शासन व्यवस्था स्थापित करने के भी प्रयास किए किन्तु १९८८ में विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु के कारण यह हो न सका। अगले ११ वर्ष के लोकतांत्रिक शासन के दौरान १९८८, १९९०, १९९३ तथा १९९७ में चार चुनाव हुए। इन चार चुनावों में मुकाबला दो प्रमुख दलों पुरानी मुस्लिम लीग पार्टी का एक दूर का भाग पाकिस्तान मुस्लिम लीग (शरीफ) (PML-S) तथा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) के बीच रहा तथा दोनों ने दो-दो बार सरकार बनाई। ऐसा लगने लगा था कि पाकिस्तान द्विदलीय प्रणाली की ओर बढ़ रहा था किन्तु यह बात उल्लेखनीय है कि इन दोनों चुनावों में पी. पी. पी. को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था और अन्य छोटे दलों की सहायता से इसने सरकार बनाई थी। पंजाब में मुस्लिम लीग का जनाधार होने के कारण पी एम एल-एस १९९० तथा १९९७ के चुनावों में भारी बहुमत से जीती थी और अपने बलबूते पर सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। पाकिस्तान में क्षेत्राीय दलों जैसे सिंध में मुताहिदा कौमी आंदोलन, उ प सी प्रान्त में नैशनल आवामी लीग पार्टी तथा बलूचिस्तान में बलूच नैशनल पार्टी को अच्छे परिणाम मिले हैं किन्तु ऐसा वे अपने प्रान्तों में ही कर पाई। एम क्यू एम प्रमुख क्षेत्राीय और संजातीय दल है। वास्तव में, पी. पी. पी. तथा पी. एम. एल. एस के बाद यह देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। कुछ संजातीय दल भी हैं जो कुछ क्षेत्राों में अच्छा काम कर रहे हैं तथा प्रमुख दल को पर्याप्त बहुमत न मिलने पर राष्ट्रीय स्तर पर भी भूमिका अदा करते हैं। धार्मिक दल जैसे-जमायत-ए-इस्लामी, मौलाना फजालुर्रहमान की जमायत अल उलामई इस्लाम, जमायतल उलमई पाकिस्तान मिलकर अथवा अपने बलबूते पर अधिक प्रभाव नहीं डाल सकते क्योंकि उनका आधार सीमित है। जमायतल उलामई इस्लाम की बलूचिस्तान तथा उत्तर पूर्वी सिंध प्रान्त में मजबूत पकड़ है। इसके भूतपूर्व नेता मौलाना मुफ्ती ७० के दशक के आरम्भिक वर्षों में नेशनल आवामी लीग के साथ गठबंधन करके प्रान्त का मुख्यमंत्राी रहे थे।

पाकिस्तान में राजनीतिक दलों की अलग-अलग फैली प्रकृति अक्तूबर, २००२ के चुनावों में परिलक्षित हुई जब चुनाव आयोग में लगभग ७१ दल पंजीकृत हुए। लगभग ९ मुस्लिम लीग, ३ पी. पी. पी. हैं तथा इसी प्रकार से अधिकांश धार्मिक दलों का प्रतिनिधित्व मूल दलों से अलग हुए गुटों द्वारा किया जा रहा है तथा अब वे स्वतंत्रा दलों के रूप में चुनाव लड़ते हैं। इस चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला । पर्यवेक्षकों का मानना है कि परिणामों में सैनिक शासन द्वारा हेरा-फेरी की गई जिसने देश के तीन राष्ट्रीय दलों के तीन नेताओं को देश निकाला दे दिया था तथा उनके चुनाव में भाग लेने पर रोक लगा थी। चुनावों से कुछ दिन पहले ही मुशर्रफ ने स्वंय को अगले पांच वर्ष के लिए राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। रूढ़िवादी दलों के गठबंधन मुत्ताहिदा मजलिस अमल (एम. एम. ए.) का उदय लोकतांत्रिक आंदोलन की कमजोरी तथा सैनिक शासकों द्वारा चुनावों में हेरा-फेरी का प्रतीक था। चूंकि कोई भी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी इसलिए सैनिक शासन ने कुछ पी. पी. पी. सदस्यों पर दल बदलने का दबाव डाला और पी. एम. एल. (क्यू) को सरकार बनाने में मदद की।

मीर जफरूल्ला खान जमाली के नेतृत्व में पी एम एल (क्यू) सरकार कमजोर सरकार है क्योंकि यह अपने आस्तित्व के लिए पूरी तरह से जनरल की आभारी है। एम. एम. ए. से सरकार का समर्थन करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं परन्तु विपक्ष इस बात पर जोर दे रहा है कि संविधान में एल एफ. ओ. को शामिल करने सहित संशोधनों को रद्द किया जाए तथा जनरल मुशर्रफ - राष्ट्रपति बने रहने के लिए सेना से त्यागपत्रा दें क्योंकि वर्दी में राष्ट्रपति संविधान के विरूद्ध है। राष्ट्रीय सभा में संवैधानिक गतिरोध चल रहा है तथा अभी तक समझौते के कोई आसार नजर नहीं आते।

बोध प्रश्न ३

नोट : अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए खाली स्थान को उपयोग में लाएँ।

अपने उत्तर की जांच अध्याय के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

१) पाकिस्तान के आरम्भिक वर्षों में नौकरशाही की क्या भूमिका रही?

.....

.....

.....

२) पाकिस्तान की राजनीतिक प्रणाली में पाकिस्तान की क्या भूमिका है?

.....

.....

.....

६.७ सारांश

हमने पाकिस्तान के राजनीतिक विकास, संरचनाओं तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन किया। जैसाकि हमने पढ़ा कि पाकिस्तान को नए सिरे से शुरूआत करनी पड़ी। असैनिक राजनीतिक संरचनाएँ कमजोर थीं परन्तु देश को सशक्त तथा बड़ी सेना और संगठित नौकरशाही विरासत में मिली। कमजोर असैनिक राजनीतिक संरचना के संदर्भ में नौकरशाही द्वारा समर्थित सेना ने राजनीतिक शक्तियों पर अधिकार जमा लिया। सेना ने धीरे-धीरे सामाजिक-आर्थिक संरचना पर अपनी पैठ मजबूत कर ली। यद्यपि सेना के नेतृत्व वाली सरकार का जन विरोध हुआ है तथापि पाकिस्तान में सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली को स्थापित नहीं किया जा सका। १९९० के दशक में जब लोकतांत्रिक संरचनाओं को नया जीवन मिला और पाकिस्तान में द्विदलीय प्रणाली के उदय की संभावना दृष्टिगोचर होने लगी तो प्रीटोरियन राजनीतिक शक्तियों ने एक बार फिर से हस्तक्षेप किया। पाकिस्तान में सेना आज भी एक सशक्त संस्था है।

६.८ कुछ उपयोगी पुस्तकें

सैयद, खालिद बी; १९९२, पाकिस्तान: द फार्मेटिव फेज; कराची, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेसहुसैन, मुशाहिद एंड अकमल हुसैन, १९९३, पाकिस्तान : प्रोब्लम ऑफ गवर्नैंस; नई दिल्ली।

खान, हमीद; २००१, कंस्टिट्यूशनल एंड पोलिटिकल हिस्टरी ऑफ पाकिस्तान: कराची; ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

कुकरेजा, वीना, २००३, कान्टेम्पररी पाकिस्तान, सेज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।

मलुका, जुल्फीकार खालिद, १९९५, द मिथ ऑफ कंस्टिच्यूशनल्जिम इन पाकिस्तान, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कराची।

मैकग्राथ, एलेन, १९९६, द डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान्स डेमोक्रेसी ;कराची; ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

रिजवी, हसन अस्करी, २०००, मिलिट्री, स्टेट एंड सोसायटी इन पाकिस्तान, लंदन, मिल्टन प्रेस।

६.९ बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न १

१) आपके उत्तर में निम्नलिखित बिन्दु शामिल होने चाहिए: आर्थिक पिछड़ापन, अपर्याप्त आधारभूत ढांचा, कमजोर असैनिक राजनीतिक संरचनाएँ, सशक्त सेना और नौकरशाही।

बोध प्रश्न २

१) सेना तथा सामन्ती जमींदारों के बीच परम्परागत सम्पर्कों के साथ-साथ प्रारम्भिक शासकों द्वारा नौकरशाही का राजनीतिकरण होने से गुटतंत्रा अथवा सेना, जमींदारों और नौकरशाही का गठबंधन १९५० के दशक में बना।

२) आठवें संशोधन में कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की तुलना में राष्ट्रपति को अत्यधिक शक्तियाँ और अधिकार दिए गए जिससे पाकिस्तान में संसदीय संरचना में मूलभूत परिवर्तन हुआ। राष्ट्रपति को अपनी इच्छानुसार चुनी गई सरकार को बर्खास्त करने, किसी भी कानून को वापस लेने तथा न्यायपालिका भंग करने के अधिकार दिए गए। बेनजीर भुट्टो तथा नवाज शरीफ दोनों इस संशोधन को रद्द करवाने के लिए लड़ते रहे।

३) नवाज शरीफ, जिन्होंने स्पष्ट बहुमत मिलने पर सरकार बनाई थी, उन्होंने आठवें संशोधन को निरस्त करके तथा सेनाध्यक्ष जनरल जहांगीर करामत को त्यागपत्रा देने के लिए मजबूर करके सेना को अपना विरोधी बना लिया था। न्यायपालिका के कार्यों में सरकार के हस्तक्षेप से भी संकट की स्थिति उत्पन्न हुई तथा सरकार को सहयोग में कमी आई।

बोध प्रश्न ३

१) स्वतंत्राता के समय पाकिस्तान को सुप्रशिक्षित नौकरशाही विरासत में मिली किन्तु प्रारम्भिक काल के शासकों ने इसका राजनीतिकरण कर दिया। जुल्फीकार अली भुट्टो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रमुख पदों पर अभिजात वर्ग के प्रभाव को कम करने की दिशा में कदम उठाए।

२) सक्रिय लोकतांत्रिाक प्रक्रियाएँ, राजनीतिक दलों को सुदृढ़ बनाती हैं, तो दूसरी ओर सशक्त राजनीतिक दल लोकतांत्रिाक प्रक्रियाओं को मजबूती प्रदान करते हैं। पाकिस्तान का संविधान गठित होने में हुए विलम्ब तथा अयूब और ज़िया के सैनिक शासनों द्वारा लागू की गई दल रहित सरकार प्रणाली के कारण पार्टी प्रणाली विकसित नहीं हो पाई। राजनीतिक दलों में अनुशासन की कमी है तथा वे विभक्त हैं। अक्तूबर, २००२ के चुनावों में लगभग ७१ दलों ने चुनाव लड़ा, हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग तथा उनसे अलग हुए दलों का राजनीतिक मंडल पर वर्चस्व है।